न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–48/2012
CIS NO.TS-529/2018

हिरालाल साह...वादी

बनाम

प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.11.2023	वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 08.07.2019 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 08.07.2019 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी की ओर से साक्ष्य हेतु नियत है। वादी अपने दावे के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लगभग दे चुका है। लेकिन इसी बीच विवादित भूमि से संबंधित एक महत्वपुर्ण दस्तावेजी साक्ष्य जो माननीय अनुमण्डल दण्डाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2018 का आदेश फलक, जो वाद सं0–1162/2018 अंतर्गत धारा 144 द0प्र0सं0 एवं पुलिस रिपोर्ट एवं पक्षकारों का सुलहनामा की सच्ची प्रतिलिपि वादी की ओर से दिनांक 01.05.2019 को फ्री सबुत के साथ दाखिल किये जा चुके है। प्रस्तुत कागजात दिनांक 24.10.2018 से दिनांक 08.11.2018 का है। इसलिए कागजात के समय दाखिल नही किया जा सका। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विलंब माफ करते हुये कागजात स्वीकृत करने की कृपा करें। प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 06.01.2023 को दाखिल किया गया जिसमें वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टि कोण से खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमा में अपना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दिया जा चुका है। प्रस्तुत दस्तावेज मुकदमा प्रारंभ होने के 06 वर्षो के बाद के है अतः ग्रहण योग्य नही है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–48/2012

CIS NO.TS-529/2018

हिरालाल साह...वादी

बनाम

प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 03.11.2023	दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज समय पर दाखिल नही किया गया है परंतु फिर भी न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल दस्तावेज को मो0–1500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुये अभिलेख पर रखने का आदेश दिया जाता है तथा वादी के आवेदन दिनांक 08.07.2019 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 08.12.2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	